XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30.01.2012

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद संख्या–112/2002
धारा–48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत

म्सोमात राधा देवी, पिता–स्व0 बालगोविन्द नोनियाँ, साकिन–सर्रा बथना, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदिका

बनाम

1. (a) शमीम
1. (b) खलील
1. (c) आजाद
1. (d) कालू

चारों के पिता– स्व0 मो0 इजराईल

2. वाहिद, पिता–सबर अली
3. तैयब
4. इशाक
5. ताहिर

कमांक 3 से 5 के पिता–स्व0 बेलाल

6. बौका मियाँ, पिता–स्व0 दानिश

सभी का साकिन–खताहाट, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षी

आ दे श

आवेदिका भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–15/2000–01 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया है। आवेदिका का कथन है कि मौजा–कदगावां, थाना नं0–147, खाता संख्या–170, खेसरा संख्या–1351, रकवा–1.41 एकड़ सिकमी खाता संख्या–192 उसके पिता के नाम से दर्ज है। पिता के मृत्यु के बाद आवेदिका प्रश्नगत जमीन पर खेती करती आ रही है। प्रश्नगत जमीन में प्रायः पानी लगा रहता है, इसलिये आवेदिका उसमें मखाना की खेती की थी। विपक्षीगण लालच में आकर आवेदिका को जमीन से बेदखल करने के लिये धमकी देने लगा। फलस्वरूप आवेदिका भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में बटाईदारी वाद संख्या–15/2000–01 दायर की। निम्न न्यायालय द्वारा वाद को समझौता बोर्ड में भेजा गया। अंचलाधिकारी, श्रीनगर समझौता बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने दोनों पक्षों के पंचों को सुनकर तथा जाँच कर प्रतिवेदन निम्न न्यायालय को समर्पित किया। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड के प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए वाद को साक्ष्य के आधार पर सुना गया। इस बीच भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता का स्थानान्तरण हो गया और प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर थे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत गवाहों की बात की नजर अन्दाज कर वाद को खारिज कर दिया गया, जबकि प्रभारी पदाधिकारी किसी वाद में आदेश पारित नहीं कर सकते है। अतः आवेदिका इस न्यायालय से निवेदन करती है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन कर तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियमानुकूल आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विपक्षीगण का कथन है कि आवेदिका द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदिका निम्न न्यायालय में प्रमाणित नहीं कर सकी कि वह कितने समय से और किसकी अनुमति से प्रश्नगत जमीन पर खेती कर रही है। आवेदिका आवेदन में लिखी है कि जमीन गड्ढानुमा है और उसमें मखाना का फसल लगा है, लेकिन निम्न न्यायालय में साक्ष्य के कम में कहती है कि प्रश्नगत जमीन में पटुआ (पाट) लगा हुआ था। मात्र खतियान में सिकमी दर्ज रहने से कोई बटाईदार नहीं होता है, बल्कि दखल आवश्यक है। आवेदिका का ससुराल जलालगढ़ में है और वह 25 वर्षो से ससुराल में रह रही है। धारा–48 (E) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत ऐसे भूधारी के विरूद्ध प्रारम्भ किया जाता है, जिसे कम–से–कम 05 एकड़ सिंचित भूमि हो। लेकिन विपक्षीगण के पास 05 एकड़ से ज्यादा जमीन उस तिथि को नहीं था। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के अनुकूल है। विपक्षीगण इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदिका द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 09.01.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदिका का कथन है कि प्रश्नगत जमीन के सिकमीदार के बेटे है। उक्त जमीन पर दखल–कब्जा रखते हुए लगातार बटाईदारी का काम किया जा रहा है। समझौता बोर्ड के द्वारा भी आवेदिका के दखल–कब्जा पाया गया। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा मात्र सिकमी हक Inheritable नहीं होने के कारण बता कर आवेदिका के विरूद्ध निर्णय लिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि समझौता बोर्ड के द्वारा समझौता हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इस कारण से निम्न न्यायालय द्वारा उसे अस्वीकृत करते हुए सुनवाई कर निर्णय लिया गया। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके पास 05 एकड़ से कम जमीन है। इस कारण से भी 48 (E) बी0टी0 एक्ट नियमानुसार लागू नहीं होता है।

आवेदिका का यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिकमी हक Inheritable है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा 48 (E) बी0टी0 एक्ट के प्रावधान के तहत विधि सम्मत कार्रवाइ्र्र नहीं की गयी है। 05 एकड़ से कम जमीन होने पर भी 48 (E) बी0टी0 एक्ट लागू होता है। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड के निर्णय को अस्वीकृत करने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदिका के आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है। इस वाद को निम्न न्यायालय को पुनः भेजते हुए नियमानुसार जाँच/सुनवाई कर आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.1.

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30.1.

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

5419 प्रेषित
16/2/12